

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1004)/2018/

दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म0स्वा0का0/1004/2014/657 दिनांक 09.06.2014 द्वारा श्रीमती सुनिता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, पुनासर कोहड़ा, खण्ड केकड़ी (अजमेर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन किया जाकर अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
1. दिनांक 08.12.2015 से 02.10.2016 तक 300 दिवस का अवैतनिक अवकाश।	1. दिनांक 08.12.2015 से 02.04.2016 तक 117 दिवस का असाधारण अवकाश। 2. दिनांक 05.05.2016 से 04.11.2016 तक 184 दिवस का असाधारण अवकाश।

निदेशालय के आदेश दिनांक 09.06.2014 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।

-seb
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 28/02/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1004)/2018/428

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केकड़ी (अजमेर)।
3. अधीक्षक, एजी हॉस्पिटल, अजमेर।
4. प्रमारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर